MY

IR N

राजस्थान–सरकार राजस्व(गुप–1) विभाग

9/8/12

कमाकः प.९(65)राज. / युप-1 / 2012

जयपुर,दिनांक : 27-7-12

## :- अधिसूचना:-

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियमं,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला चित्तौडगढ़ की तहसील गंगरार के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या—6 में अंकित मक्करों / ढाणियों को एतद्पश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या—8 के अनुसार होगाः—

क्र0स	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैंक्टर में)		प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम		प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या,/ क्षेत्रफल (हैक्टर में)		दूरी कि0मी0में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		Tr. (4	जन संख्या	क्षेत्रफल -		
1	2	3	4	5		.'6	.7	. 8	9	10
1	चित्तौड़गढ़ / गंगरार	गेणियां	920	556.87	7	यावास 🧢	310	134.47	3.0	422.40

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये ज़िला कलेक्टर, चित्तौडगढ को अधिकृत किया जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपत्र कमांक प.9(16)राज—1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

Frank ( 22000)

, आज्ञा से,

शासन उप सचिव